प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 92 / 2024 (अपील सूचना का अधिकार)

Jaywant Bherviya Add. 29, Mahaveer nagar, New Bhupalpura, Udaipur

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

...................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 13/08/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329500446924308 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 20.06.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 7063980880 दिनांक 22.07.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर / सू.अ.2005 / प्रथम अपील / 92 / 24 / 361–62 दिनांक 22.07.2024 से लिखा गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक भू.अ. / सूअअ / 2005 / 2024 / 1851 दिनांक 13.08.2024 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना / दस्तावेज इस कार्यालय के पत्रांक 1849 दिनांक 08.08.2024 से जरिये रजिस्टर्ड डाक अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। अब इस कार्यालय से वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना शेष नहीं है। अतः निवेदन है कि जवाब स्वीकार किया जाकर प्रकरण को निरस्त करने का आदेश फरमावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 13.08.2024 अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 08.08.2024 से सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। ऐसी स्थिति में अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

चूंकि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को आवेदन दिनांक 20.06.2024 से एक माह के अवधि के बाद प्रथम अपील प्रस्तुत करने के उपरान्त सूचना उपलब्ध करवाई गई है ऐसी स्थिति में सहायक लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों को नियमानुसार निश्चित समयावधि में निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर